है। पत्रावली दस्तखत होकर दिनांक 29.2.16
को पेश हो।
[signature]
रीडर
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

29.2.16 वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी 2 की ओर से श्री सुधीर मीमाणी ने वकालातनामा पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 15.3.16 को पेश हो। [initials]

15.3.16 वकुलाय उपस्थित।
पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 7.4.16 को पेश हो। [initials]

7.4.16 वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर जवाब पेश किया गया प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। प्रतिवादी संख्या ... जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 21.4.16 को पेश हो। [initials]

21.4.16 वकुलाय उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 5.5.16 को पेश हो। [initials]

17/6/16 पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प धाणेराव पेश हुई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र प 6(12)राज/6/92/26 जयपुर दिनांक 20.12.95 के अनुसरण उक्त प्रकरण आज सुनवाई की जाकर विधिक आदेश दी सम्पन्न किया जाकर खाता 2842 का रकबा 0.90 हेक्टर अप्रार्थी के 2 के खाते के कम की जाकर खिवाप चकबन्दी की जावे प्रकरण 136 LR निर्णय का हो

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सरकारी पेशकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रा०पत्र 136 LR Act का नहीं बनता है। प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 136 LR Act का स्वीकार योग्य नहीं है। रिसेटलमेंट भूल कर सिवाय चक भूमि का खातेदारी दर्ज की है तो भूमिधारी (तहसीलदार) द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करना था, जबकि पत्रावली में भूमिधारी अप्रार्थी एक पक्षकार बनाया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा रिसेटलमेंट का पूर्व का नक्शा भी पेश नहीं किया है। क्योंकि यह साबित हो कि गलत दर्ज हुई, या इस वाली भूमि सिवाय चक को खातेदारी दर्ज हुई है। प्रार्थी ने स्वयं के जो नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें लालस्याही दर्शाया गया पर मौके पर है प्रार्थी द्वारा स्वयं के अप्रार्थी क्र. 2 की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण होना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा इस तरह का प्रा० पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति प्रार्थी का प्रा०पत्र 136 LR Act स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र 136 LR Act खारिज किया जाता है। भूमिधारी (तहसीलदार) को हिदायत दी जाती है इस तरह कोई प्रकरण में रिसेटलमेंट विभाग के सिवाय चक भूमि को किसी की खातेदारी दर्ज कर दी होतो प्रकरण 136 LR Act के बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर पुनः सिवाय चक भूमि दर्ज करवाने की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज़
	कार्यवाही करें। पत्रावली इन्द्राज कर फैसल होकर रिकार्ड रूम जमा हो। SDO उपखण्ड अधिकारी [illegible]